दिनांक 20.06.2026

श्रीमती/सुश्री कुसुमलता मेवाड़ा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पाली एवं सुमेरसिंह राजपुरोहित लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रार्थी/अभियुक्त शंकरलाल की ओर से जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 BNSS प्रस्तुत किये जाने पर जमानत आवेदन संख्या 413/2026 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2026 को जमानत आवेदन स्वीकार कर 50,000/- रूपये का स्वयं का मुचलाका एवं 25,000/- 25,000/- रूपये की दो जमानते संबंधित नयायालय की संतुष्टि अनुसार जमा कर तस्दीक कराने पर उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त **शंकरलाल** द्वारा उक्त आदेश की पालना में जमानत मुचलके प्रस्तुत नहीं किए जाने से वह अभिरक्षा में है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह आवेदन जमानत आदेश दिनांक 20.05.2026 की शर्तों में शिथीलता बाबत जरिये लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पाली दिनांक 05.06.2026 को प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन पर बहस सुनी गयी, लोक अभियोजक ने उचित आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।

इस न्यायालय के जमानत आवेदन संख्या 413/2026 शंकर उर्फ शंकरलाल बनाम सरकार आदेश दिनांक 20.05.2026 का अवलोकन किया गया। इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.04.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त जमानतियों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SMWP (criminal) No. 04/2021 आदेश दिनांक 31.01.2023 में निम्न निर्देश दिया गया हैः-

> "**(6)** If the bail bonds are not furnished within one month from the date of grant bail, the concerned court may suo moto take up the case and consider whether the conditions of bail require modification/relaxation."

न्यायालयः- सेशन न्यायालय, पाली (राजस्थान)

शंकरलाल बनाम सरकार
फौजदारी विविध प्रकरण सं.160/2026
आदेश दिनांक 20.06.2026

हस्तगत मामले में जमानत आदेश दिनांक 20.05.2026 से आज तक करीब एक माह तक अभियुक्त की ओर से जमानती पेश नहीं किये गये हैं। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व में पारित आदेश दिनांक 20.05.2026 को परिवर्तित कर उसमें शिथिलता प्रदान करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को उसके स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **शंकरलाल** की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस पर पारित आदेश **दिनांक 20.05.2026** को परिवर्तित कर यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी **50,000/-** रूपये का स्वयं का बंधपत्र पेश करें तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(राकेश गोरा)
जिला न्यायाधीश, पाली
(लिंक अधिकारी)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.24 00:59:55 IST